संख्या-105/2025/I/963008/2025/71-1002/77/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 16 मई, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष अनुमोदित उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2025-26/104, दिनांक 29.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-124/2024/I/2024/723904/2024-71-1002/77/2023 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अनुमोदित उपकरणों की सूची (कुल लागत रू0 1002.54 लाख) के सापेक्ष उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि रु0 1002.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि हेतु रू0 60.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 60.00 करोड़ (केन्द्रांश रू0 36.00 करोड़ व राज्यांश रू0 24.00 करोड़ (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर एसएनए खाते में हस्तांरित किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्तमान में रू0 48.25 करोड़ (केन्द्रांश रू0 24.25 करोड़ व राज्यांश रू0 24.00 करोड़) की धनराशि महानिदेशक के निर्वतन पर एसएनए खाते में रक्षित/उपलब्ध है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-124/2024/I/2024/723904/2024-71-1002/77/2023 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अनुमोदित उपकरणों की सूची (कुल लागत रू0 1002.54 लाख) के सापेक्ष उपकरणों के क्रय हेतु **रु0 1002.54 लाख (रू0 दस करोड़ दो लाख चौवन हजार मात्र)** की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते-प्रतिबन्ध-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य की होगी।

2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।

6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

8. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

9. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।